



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271699
CG-DL-E-10042026-271699

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 248]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

आय-कर

सा.का.नि. 268(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के राजपत्र, भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना धारित सं. सा.का.नि. 233(अ), दिनांक 30 मार्च, 2026 में :-

(i) पृष्ठ संख्या 5 पर, भाग क सामान्य सूचना में, पंक्ति (क10) और उससे संबंधित प्रविष्टियों में, "लाभ की सही रिपोर्टिंग नहीं की गई (हानि में कमी के मामले में)" शब्दों के बाद एक अलग पंक्ति में "आय के गलत मदों का चयन किया गया" शब्द लिखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 63/2026/फा. सं. 370142/13/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th April, 2026

INCOME-TAX

G.S.R. 268(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 233(E), dated 30th March, 2026:—

(i) at page number 5, in Part A General Information, in row (A10) and the entries relating thereto, the words “Wrong heads of income chosen” shall be placed in a separate line following the words “Loss not reported correctly (In case of reduction of loss)”.

[Notification No. 63/2026/F. No. 370142/13/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy.